

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भारतपुर

अपील संख्या:-241/2017 (RCMS No. 2017/00259) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

- | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1. कलावती पत्नि स्व0 राधेश्याम | | |
| 2. हरीश चन्द | | |
| 3. गोपाल चन्द | पिसरान राधेश्याम | जाति महाजन निवासी नौरंगावाद |
| 4. महेश चन्द | | श्रीमहावीर जी तहसील हिण्डौन जिला |
| 5. दीपचन्द | | करौली |
| 6. त्रिलोक चन्द | | |

.....अपीलान्टस

बनाम

1. भगवान सहाय गोयल पुत्र गिराज प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम नौरंगावाद श्री महावीर जी तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. सब रजिस्ट्रार एवं नायव तहसीलदार श्री महावीर जी
3. रेख सिंह पुत्र बादाम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नौरंगा वाद श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली

.....असल रैस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर
हिण्डौन सिटी दिनांक 23.11.2015

2-अपील संख्या:-242/2017 (RCMS No. 2017/00260) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

रेख सिंह पुत्र बादाम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नौरंगावाद श्रीमहावीर जी तहसील हिण्डौन जिला करौली

.....अपीलान्टस

बनाम

1. भगवान सहाय गोयल पुत्र गिराज प्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम नौरंगावाद श्री महावीर जी तहसील हिण्डौन जिला करौली

2. सब रजिस्ट्रार एवं नायव तहसीलदार श्री महावीर जी

.....असल रैस्पोडैन्टस

3. कलावती पत्नि स्व० राधेश्याम

4. हरीश चन्द

5. गोपाल चन्द

6. महेश चन्द

7. दीपचन्द

8. त्रिलोक चन्द

पिसरान राधेश्याम

जाति महाजन निवासी नौरंगावाद

श्रीमहावीर जी तहसील हिण्डौन जिला

करौली

.....तरतीवी रैस्पो०

अपील विरुद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर
हिण्डौन सिटी दिनांक 23.11.2015

उपस्थिति:-

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्टस
2. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील रैस्पो०

निर्णय

दिनांक :-31.08.2018

उपरोक्त दोनों अपीलें भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर हिण्डौन सिटी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों के तथ्य, पक्षकार, विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के एस.बी. पिटीशन नं० 5546/2001 उनवानी श्रीमती कलावती देवी बगैरहा बनाम स्टेट आफ राजस्थान निर्णय दिनांक 06.04.2015 के निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ एक प्रार्थना पत्र पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय में गोपाल गोयल ने पेश किया तथा एक प्रार्थना पत्र रेख सिंह ने एक प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में अपने हकूकों को सुरक्षा प्रदान करने एवं भगवान सहाय के राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती के संबंध में पेश किया। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.04.2015 के अनुसार साबिक ख० नं० 1236/1 रकवा 17 विस्वा की किस्म व सीमा तय करने का आदेश दिया है।

प्रार्थीगण/अपीलान्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया था कि भगवान सहाय ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 28.08.73 को साबिक ख० नं० 1237 रकवा 17 विस्वा क्रय किया था। जिसका हाल ख० नं० 2293 रकवा 15 एयर है जिस पर भगवान सहाय काबिज है। रैस्पो० भगवान सहाय ने उक्त खरीदशुदा 17 विस्वा भूमि की एवज में हाल ख० नं० 2256 रकवा 6 एयर, 2259 रकवा 15 एयर, 2272 रकवा 7 एयर, 2280 रकवा 1 एयर, 2281 रकवा 20 एयर कुल 49 एयर

रकवे की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली है जो गलत है। उसकी खरीद शुदा भूमि 17 विस्वा का रकवा 21 एयर होता है। उसने खरीदशुदा भूमि ख0 नं0 2293 को सिवायचक दर्ज करवा रखा है। पूर्व में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.06.89 के द्वारा ख0 नं0 2293 रकवा 15 एयर एवं 2256 रकवा 6 एयर भगवान सहाय के खाते में दिये थे शेष आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया था। इस निर्णय के विरुद्ध भगवान सहाय ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील पेश कर ख0 नं0 1236/1 का 1 बीघा भूमि में से दो तिहाई हिस्सा अपना कय शुदा होना बताकर उक्त आदेश को निरस्त करवा दिया। हाल ख0 नं0 2280, 2281 साबिक ख0 नं0 1236/1 सिवायचक रास्ते की भूमि है जिसमें होकर अपीलान्त अपनी भूमि ख0 नं0 2282 व 2283 पर आता जाता है। अतः ख0 नं0 2280, 2281, 2272 की खातेदारी को हजफ कर सिवायचक दर्ज किया जावे।

रैस्पो0 भगवान सहाय ने अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया कि रैस्पो0 ने केवल 17 विस्वा भूमि ही कय नही की है बल्कि दो पंजीकृत वयनामा के जरिये 1973 में भूमि खरीद कर कब्जे में ली है। वयनामा दिनांक 28.08.73 से ख0 नं0 1236/9 व 1237 कुल रकवा 4 बीघा 2 विस्वा में से पूर्व में से पूर्व में विक्रय किये गये 18 विस्वा भूमि रतन लाल कासलीवाल के अलावा शेष रही 64 विस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा यानी सवा 21 विस्वा जिसका रकवा 17 विस्वा न होकर सवा 21 विस्वा होता है। वयनामा दिनांक 17.11.73 से ख0 नं0 1236/1 रकवा 1 बीघा का 2/3 हिस्सा कय किया है। जिसकी खातेदारी रैस्पो0 के नाम 1973 में ही दर्ज हो गयी थी। हाल ख0 नं0 2280 व 2281 रैस्पो0 की खातेदारी में जो साबिक ख0 नं0 1237 से कायम किये गये है। रैस्पो0 की खातेदारी केवल हाल ख0 नं0 2256 रकवा 06 एयर, 2259 रकवा 15 एयर, 2280 रकवा 01 एयर, 2281 रकवा 20 एयर कुल 42 एयर पर है। जबकि अपीलान्त न्यायालय को भ्रमित करते हुये उसकी खातेदारी 49 एयर भूमि विरुद्ध रिकार्ड बतायी जा रही है। रैस्पो0 ने 2280 में अपने खर्च से कुईया का निर्माण करवाया है। ख0 नं0 2281 की उत्तरी मेड पर करीब 250 फीट लम्बा एवं 8 फीट ऊँचा पुख्ता डण्डा करवा रखा है। रैस्पो0 की खरीदशुदा भूमि अपीलान्त की खातेदारी की भूमि के उत्तर में है। ख0 नं0 1236 से हाल ख0 नं0 2311 रकवा 16 एयर कायम किया है जो रैस्पो0 व अपीलान्त की भूमि के पश्चिम में है। जहाँ होकर डाबर सड़क बनी हुई है। उक्त सड़क हिण्डौन-नादौती रोड़ से मन्दिर श्रीमहावीरजी तक गई है। इस सड़क पर ही अपीलान्त गोपाल की भूमि में बनी दुकानात के दरवाजे एवं मकानात का दरवाजा है। रैस्पो0 की भूमि की ओर अपीलान्त का कोई रास्ता, दरवाजा कभी नहीं रहा है और न आज है। वर्तमान में ख0 नं0 2311 जो कि गैर मुमकिन सड़क है और मौके पर चालू है। सैटिलमेन्ट विभाग ने भी उक्त ख0 नं0 साबिक ख0 नं0 1236 मिन से कायम किया है। रैस्पो0 की भूमि ख0 नं0 2280 व 2281 साबिक ख0 नं0 1136/1 से कायम नहीं किया, बल्कि ख0 नं0 1237 से बनाया गया है। अपीलान्त के पिता ने 2280 व 2281 में होकर अपना रास्ता बताते हुये उक्त भूमि को रास्ते की भूमि बताते हुये न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डौन सिटी के समक्ष दिनांक 27.10.1995 को दावा उनवानी राधेश्याम गोयल बनाम भगवान सहाय वगैरहा पेश किया था जो बाद में अन्तरित होकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीमहावीरजी द्वारा दिनांक 02.09.2003 को निर्णित किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय ने यह माना कि रैस्पो0 की खातेदारी की भूमि ख0 नं0 2280, 2281 रास्ते की भूमि नहीं है और न ही उक्त भूमि साबिक ख0 नं0 1236/1 रास्ते की भूमि से बनी है।

हाल ख० नं० 2311 जहाँ होकर मौके पर सड़क बनी हुई है जिसमें अपीलान्ट व अन्य लोगों के निकास व आवागमन है, वही भूमि रास्ते की भूमि है।

रैस्प० ने अधीनस्थ न्यायालय में यह तर्क भी किया कि अपीलान्ट रेक सिंह द्वारा गैर सायल के प्रकरण में अनावश्यक पक्षकार के तौर पर शामिल होकर बोगस प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलान्ट रेक सिंह विवादित आराजी से करीब एक किलोमीटर दूर रहता है। विवादित भूमि या उसके आसपास अपीलान्ट की कोई भूमि या रिहायश नहीं है। अपीलान्ट रेक सिंह के पिता व उनके समाज के अन्य कई व्यक्तियों द्वारा सन् 1992 में गैरसायल की खातेदारी के ख० नं० 2259 पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया जिसमें न्यायालय में दावा किया गया था। अपीलान्ट को किसी प्रकार के विधिक अधिकार उक्त आराजी पर नहीं है। अतः अपीलान्ट गोपाल व रेक सिंह के प्रार्थना पत्रों को खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि रैस्प० ने दो वयनामों से भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त आराजी बिक्रेताओं की खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। वैसे भी गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को पंजीकृत बिक्रय विलेख से हस्तान्तरण किया जाना संभव नहीं है। इससे यह प्रमाणित है कि रैस्प० की खातेदारी की कृषि भूमि साबिक खातेदारों की खातेदारी की भूमि रही है, न कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि। जिसके हाल ख० नं० 2280, 2281 साबिक ख० नं० 1237 से कायम किये गये हैं न कि ख० नं० 1236/1 से। रैस्प० की खातेदारी में दर्ज ख० नं० 2256, 2259, 2280, 2281 रकवा 42 एयर साबिक ख० नं० 1236/1 रकवा 17 विस्वा रास्ते की भूमि नहीं है बल्कि उनके द्वारा पंजीकृत वयनामों से क्रय कर कब्जे में ली गई खातेदारी की भूमि है एवं ख० नं० 2311 रकवा 16 एयर गैर मुमकिन सड़क साबिक ख० नं० 1236 राजस्व रिकार्ड एवं मौके के अनुसार रास्ते की आराजी है। अतः अपीलान्टस गोपाल वगैरहा व रेक सिंह के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये। इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के एस.बी.सिविल द्वितीय अपील सं० 236/2016 उनवानी कलावती वगैरहा बनाम भगवान सहाय वगैरहा में दिनांक 16.07.2018 को माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय को निर्देश दिये है कि वे उनके समक्ष लंबित अपील संख्या 61/2015 को यह आदेश प्राप्त होने की दिनांक से एक माह में निस्तारित करें। यह आदेश दिनांक 24.07.18 को प्राप्त हुआ। अपील संख्या 61/15 के नई अपील संख्या 241/17 है। चूंकि उक्त अपीलान्तीय आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील 242/17 उनवानी रेख सिंह बनाम भगवान सहाय वगैरहा भी इसी न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त दोनों अपीलों का माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रकरणों में नजदीक तारीख पेशी लगाकर निस्तारण किया जा रहा है।

विद्वान वकील अपीलान्टस का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 06.04.15 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की है। उच्च न्यायालय ने उप जिला कलक्टर को निर्देश दिये थे कि वह ख० नं० 1236/1 ग्राम नौरंगावाद के संबंध में यह जाँच करें कि यह ख० नं० खातेदारी का रकवा है या गैर मुमकिन रास्ते का। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने निर्देशों की पालना नहीं की है। यदि अधीनस्थ न्यायालय ख० नं० 1236/1 के संबंध में कोई किसी निष्कर्ष में नहीं पहुँच सकती थी तो उसे राजस्व कर्मचारियों के पास उपलब्ध रिकार्ड को

मॅगाकर उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करनी चाहिये थी। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय को उच्च न्यायालय के निर्देशों तक ही समिति रखना चाहिये था। क्योंकि यह प्रकरण उच्च न्यायालय से रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय में आया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एक ओर तो उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं की दूसरी ओर अपनी तरफ से एक नई जॉच कर (जिसका उन्हें उच्च न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था।) रैस्पो सं० 1 के पक्ष में सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से किये गये ख० नं० 2280, 2281, 2256, 2259 के इन्द्राजों को सही ठहरा दिया। जबकि उन्हें अपनी जॉच को साबिक ख० नं० 1236/1 तक ही सीमित रखना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का कतई अवलोकन नहीं किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा सम्बत् 2045 (1988) व सं० 2036 से स्पष्ट है कि ख० नं० 1236/1 से हाल ख० नं० 2280, 2281 बने हैं जिसे गलत रूप से साबिक ख० नं० 1237 से दर्शाकर रैस्पो संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है। इस रिकार्ड से स्पष्ट है कि ख० नं० 1236/1 गैर मुमकिन रास्ते का नम्बर था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.09.2003 को आधार बनाकर 2280, 2281 को रैस्पो संख्या 1 की खातेदारी का रकवा माना है। उस आदेश की अपील अपर जिला एवं सेशन न्यायालय नं० 2 हिण्डौन सिटी के यहाँ विचाराधीन है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं माना है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मुन्सिफ कोर्ट के आदेश को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। जबकि राजस्व न्यायालय सिविल कोर्ट के निर्णय से बाध्य नहीं है। जैसाकि 2000 आरआरडी 132 में माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उनका तर्क है कि एडीएम करौली के निर्णय दिनांक 14.12.87 व उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.04.2015 का कतई अवलोकन नहीं किया। उच्च न्यायालय में स्वयं रैस्पो ने ख० नं० 1236/1 को गैर मुमकिन रास्ते का नम्बर माना है। एडीएम करौली के निर्णय दिनांक 14.12.87 में भी रैस्पो सं० 1 ने 1236/1 को रास्ते का नम्बर मानते हुए इसके नियमन की प्रार्थना की है। जिससे स्पष्ट है कि 1236/1 गैर मुमकिन रास्ते का नम्बर है जिसे गलत रूप से रैस्पो संख्या 1 ने अपने खातेदारी में दर्ज करा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिल्कुल गलत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.11.2015 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 136 अपीलान्ट स्वीकार कर मिलान ख० नं० 2280, 2281 ग्राम नौरंगावाद को मिलान क्षेत्रफल में साबिक ख० नं० 1137 के बजाय 1236/1 से निर्मित बताकर दर्ज किया जावे तथा ख० नं० 2280, 2281 को सिवायचक दर्ज किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो भगवान सहाय का तर्क है कि रैस्पो ने वयनामा दिनांक 28.08.73 से ख० नं० 1236/9 व 1237 कुल रकवा 4 बीघा 2 विस्वा में से पूर्व में से पूर्व में विक्रय किये गये 18 विस्वा भूमि रतन लाल कासलीवाल के अलावा शेष रही 64 विस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा यानी सवा 21 विस्वा क्रय किया था। दूसरे वयनामा दिनांक 17.11.73 से ख० नं० 1236/1 रकवा 1 बीघा का 2/3 हिस्सा क्रय किया है। वयनामा के आधार पर वर्ष 1973 में ही रैस्पो के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी थी। बन्दोवस्त विभाग ने गत ख० नं० 1327 से हाल ख० नं० 2280 व 2281 बनाये हैं। रैस्पो विवादित आराजी हाल ख० नं० 2256 रकवा 06 एयर, 2259 रकवा 15 एयर, 2280 रकवा 01 एयर, 2281 रकवा 20 एयर कुल 42 एयर का खातेदार काश्तकार है। जबकि अपीलान्ट 49 एयर आराजी


का खातेदार बता रहा है। रैस्पों ने ख० नं० 2280 में अपने खर्चे से कुआ बनवाया था। उनका यह भी तर्क है कि रैस्पों की खरीदशुदा भूमि अपीलान्त की खातेदारी की भूमि के उत्तर में है। ख० नं० 1236 से हाल ख० नं० 2311 रकवा 16 एयर कायम किया है जो रैस्पों व अपीलान्त की भूमि के पश्चिम में सड़क है तथा जो हिण्डौन-नादौती रोड़ से मन्दिर श्रीमहावीरजी तक जा रही है। अपीलान्त का रास्ता रैस्पों में खसरा नम्बरान में से नहीं है बल्कि उसके खसरा नम्बरान के सामने सड़क है। इस सड़क पर ही अपीलान्त गोपाल की भूमि में बनी दुकानात के दरवाजे एवं मकानात का दरवाजा है। वर्तमान में ख० नं० 2311 जोकि गैर मुमकिन सड़क है जो साबिक ख० नं० 1236 मिन से बनी है। रैस्पों के ख० नं० 2280 व 2281 साबिक ख० नं० 1237 से बने है। अपीलान्त के पिता ने 2280 व 2281 में होकर अपना रास्ता बताते हुऐ उक्त भूमि को रास्ते की भूमि बताते हुऐ न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डौन सिटी के समक्ष दिनांक 27.10.1995 को दावा उनवानी राधेश्याम गोयल बनाम भगवान सहाय वगैरहा पेश किया था जो बाद में अन्तरित होकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीमहावीरजी द्वारा दिनांक 02.09.2003 को निर्णित किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय ने यह माना कि रैस्पों की खातेदारी की भूमि ख० नं० 2280, 2281 रास्ते की भूमि नहीं है और न ही उक्त ख० नं० साबिक ख० नं० 1236/1 रास्ते की भूमि से बने हैं। हाल ख० नं० 2311 जहाँ होकर मौके पर सड़क बनी हुई है जिसमें अपीलान्त व अन्य लोगों के निकास व आवागमन है, वही भूमि रास्ते की भूमि है। उक्त ख० नं० हाल 2311 साबिक ख० नं० 1236 से बनना रिकार्ड से साबित है। माननीय सिविल न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त का कथन उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी दस्तावेजात का अवलोकन कर ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलान्तस की दोनों अपीलें खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रैस्पों भगवान सहाय ने विवादित आराजी साबिक ख० नं० 1236/9 व 1237 कुल रकवा 4 बीघा 2 विस्वा में से पूर्व विक्रय किये गये 18 विस्वा रतन लाल कासलीवाल के अलावा 64 विस्वा का 1/3 हिस्सा यानी सवा 21 विस्वा विवादित आराजी के खातेदार रामगोपाल व मूलचन्द पिसरान नारायण लाल जाति माली से पंजीकृत वयनामा से दिनांक 28.08.73 को क़य किया था। रैस्पों ने साबिक ख० नं० 1236/1 रकवा 1 बीघा का 2/3 हिस्से का रकवा सवा 13 विस्वा विवादित आराजी के खातेदारों से दिनांक 17.11.73 को क़य किया था। इसलिये अपीलान्त का यह कहना कि विवादित आराजी गैरमुमकिन रास्ता या सड़क की आराजी है, उचित नहीं है। विवादित आराजी एक खातेदार की आराजी है, जिसे रैस्पों ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क़य किया था। उक्त साबिक खसरा नम्बरान के हाल ख० नं० 2256 रकवा 06 एयर, 2259 रकवा 15 एयर, 2280 रकवा 01 एयर, 2281 रकवा 20 एयर कुल 42 एयर बनाये हैं जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट हो रहा है। नकल जमाबन्दी सं० 2071 से 2074 में ख० नं० 2256 रकवा 06 एयर, 2259 रकवा 15 एयर, 2280 रकवा 01 एयर, 2281 रकवा 20 एयर कुल 42 एयर का खातेदार रैस्पों भगवान सहाय दर्ज है। नकल जमाबन्दी सं० 2067 से 2070 में ख० नं० 2311 रकवा 16 एयर गैर मुमकिन सड़क है जो अपीलान्त व रैस्पों की भूमि के पश्चिम में है जो गत ख० नं० 1236 मिन से बनी है, जो हिण्डौन-नादौती रोड़ से श्रीमहावीरजी को जाती है। माननीय सिविल न्यायाधीश श्री

महारवीरजी के निर्णय दिनांक 02.09.2003 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल ख0 नं0 2280 रकवा 01 एयर व ख0 नं0 2281 रकवा 20 एयर रास्ते की भूमि नहीं है। रास्ते की आराजी हाल ख0 नं0 2311 है। उक्त सड़क पर ही अपीलान्ट व अन्य का आवागमन कर उपयोग में लेना बताया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 04.11.95 के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नम्बर 2311 गैर मुमकिन सड़क है जो साबिक ख0 नं0 1236 से बनी है। उक्त सभी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, मौका रिपोर्ट एवं माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख0 नं0 2256 रकवा 06 एयर, 2259 रकवा 15 एयर, 2280 रकवा 01 एयर, 2281 रकवा 20 एयर कुल 42 एयर ग्राम नौरंगाबाद रास्ते की भूमि नहीं है। उक्त आराजी के साबिक ख0 नं0 को खातेदारों के जरिये पंजीकृत वयनामा के क्रय किया है। साबिक ख0 नं0 1236 से हाल ख0 नं0 2311 रकवा 16 एयर बना है तथा उक्त खसरा नम्बर की किस्म गैर मुमकिन सड़क होना रिकार्ड से साबित है। जहाँ तक अपीलान्ट रेख सिंह की अपील का संबंध है। रेख सिंह का उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है जैसाकि राजस्व रिकार्ड से साबित है। अपीलान्ट रेख सिंह की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत् है। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्टस की दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन से आधार पर अपीलान्टस की अपील संख्या 241/17 उनवानी कलावती वगैरहा बनाम भगवान सहाय वगैरहा एवं अपील संख्या 242/17 उनवानी रेखसिंह बनाम भगवान सहाय वगैरहा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.11.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official